छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर– 24ए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0), पिन– 492002

खरीफ विपणन 2019–20 में उपार्जित चावल को पाईलेट प्रोजेक्ट के तहत चावल फोर्टीफिकेशन कर प्रदाय करने हेतु

द्वितीय ई–निविदा दस्तावेज

निविदा जारी करने की तिथि 23.06.2020

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.07.2020

निविदा खोलने की तिथि. 23.07.2020

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर– 24ए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0),

//चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु ई–निविदा//

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपनी सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावें।

परिशिष्ट – 01	इस परिशिष्ट पर चावल फोर्टीफिकेशन कार्य करने हेतु निविदा संबंधी प्रकिया, निविदा हेतु परिभाषाएं, निविदा के नियम एवं शर्तें दर्शित है।
परिशिष्ट – 02	इस परिशिष्ट पर जिले का नाम व प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां चावल भण्डारित है, की गोदामवार जमा मात्रा की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट – 03	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट – 04	चावल फोर्टीफिकेशन कार्य करने हेतु प्रस्तुत दर प्रति टन का विवरण (प्राईज बीड)
परिशिष्ट – 05	इस परिशिष्ट पर चावल फोर्टीफिकेशन संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक जिला/ प्रदाय केन्द्र हेतु रूपये 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट – 06	तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
परिशिष्ट – 07	फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
परिशिष्ट – 08	फोर्टीफिकेशन के विचारार्थ विषय (terms of referance)/ चावल फोर्टीफिकेशन कार्य संबंधी प्रक्रिया के दस्तावेज
परिशिष्ट – 09	FSSAI के मापदण्ड के अनुसार प्रदाय किये जाने वाले चावल फोर्टीफिकेशन की गुणवत्ता संबंधी निर्देशीका
परिशिष्ट –10	अनिवार्य दस्तावेज/शपथ पत्र की चेक लिस्ट
परिशिष्ट –11	ई–निविदा संबंधी निर्देशिका
परिशिष्ट –12	सत्य निष्ठा संबंधी घोषणा पत्र

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्ट का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें आनलाईन प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से सही–सही प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
नवा रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7 ए, द्वितीय तल, सेक्टर– 24ए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0),

चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु ई – निविदा

1. निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता :– .....
2. मोबाइल नं. :– .....
3. ई–मेल आईडी :– .....

छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कोण्डागांव जिले के विभिन्न संग्रहण केन्द्रों/प्रदाय केन्द्रों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गाईड लाईन्स के अनुसार पायलेट प्रोजेक्ट के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफिकेशन राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रत्येक माह अनुमानित चावल मात्रा 4950 मे.टन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित राईस मिलर्स से राज्य शासन से अनुबंधित उत्पादन क्षमता अनुसार केवल चावल फोर्टिफिकेशन करने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

E-TENDER Schedule

Seq.No.	NAN	Start	
		Date	Time
1	Bid Start date	**23-06-2020**	10:00 AM
2	Bid due date	**22-07-2020**	5:00 PM
3	Bid open date from	**23-07-2020**	10:00 AM

टिप्पणी :–

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को निविदा खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 22.07.2020 को सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन से जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर ले, एवं अंतिम समय का इंतजार किये बिना नियत अंतिम समय के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जावे, ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं हो पाने पर निर्धारित समय–सीमा में वृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति Online ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील होना अनिवार्य है।

5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म के लिए राशि रू. 2500.00 (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 311.00 (तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 2811.00 (दो हजार आठ सौ ग्यारह रूपये मात्र) वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

6. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार यह सुनिश्चित कर ले कि उनका ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा उनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) उपलब्ध हो।

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह निविदा फार्म पृष्ठ 01 से **35** तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

//उद्बोधन//

प्रिय निविदाकार,

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में उपार्जित किए जाने वाले चावल प्रत्येक माह मात्रा 4950 मे.टन. से राज्य शासन से अनुबंधित उत्पादन क्षमता अनुसार, को चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किये जाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है।
2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/चना/नमक/शक्कर/दलहन/बारदाना/मक्का आदि की क्रय/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।
3. इस निविदा दस्तावेज में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां चावल का भंडारण किया जाना उल्लेखित है।
4. निविदाकार से अनुरोध है कि कृपया कार्पोरेशन द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इन दस्तावेजों को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।
5. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा निर्धारित समय तक ही आनलाईन स्वीकार किए जायेंगे।
6. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

<u>चावल फोर्टीफिकेशन के लिए निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं–</u>

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर क्रमशः न्यूनतम दरदाता से नियमानुसार निगोशियेशन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का मान्य होगा।

(ब) निविदाकर्ता निविदा फार्म के साथ में वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि (RTGS/Transfer Receipt) आयकर विवरणी, पेनकार्ड, फर्म/कंपनी का पंजीयन अनिवार्य रहेगा (स्वामित्व/प्रोपराइटर शीप निविदाकार को पंजीयन की आवश्यकता नही है।) तकनीकी बीड/फाईनेसियल बीड, घोषणा पत्र, अमानत राशि का विवरण पत्रक आदि एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित तथ्यों के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली–भांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

परिशिष्ट – 01

// चावल फोर्टीफिकेशन के लिए निविदा संबंधी प्रक्रिया, निविदा हेतु परिभाषाएं, निविदा के नियम एवं शर्तें//

1. निविदा में अभिप्रेरित परिभाषाएँ :–

1.1 **''चावल''** से तात्पर्य यह है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में उपार्जित चावल **जहां है, जैसा है,** कि स्थिति।

1.2 **''निविदा दस्तावेज''** से तात्पर्य यह है कि चावल फोर्टीफिकेशन के लिए ई–निविदा हेतु जारी की गई प्रोफार्मा को निविदाकार द्वारा विधिवत भरा गया दस्तावेज।

1.3 **''संविदा''** से तात्पर्य यह है कि चावल फोर्टीफिकेशन के लिए कार्पोरेशन व राईस मिलर्स के मध्य करार, जिसमें निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्यूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।

1.4 **''कार्पोरेशन/निगम''** शब्द से तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर से अभिप्रेत है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड है।

1.5 **''प्रबंध संचालक''** से तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के प्रबंध संचालक। जिसके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत चावल फोर्टीफिकेशन के लिए संविदा संबंधित है का निष्पादन किया जाना है इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे।

1.6 **''निविदाकार''** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति, संस्था या प्रतिष्ठान जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

1.7 **''सफल निविदाकार''** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति, संस्था या प्रतिष्ठान जिसकी दरे स्वीकृत हुई है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

1.8 **''दर ''** से तात्पर्य यह है कि दर निविदाकार द्वारा चावल फोर्टीफिकेशन के लिए E-Tender के माध्यम से निर्धारित कॉलम में ऑनलाईन भरी गई राशि भारतीय मुद्रा रूपये (INR) मे दर्ज की जावे, जिसे प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

1.9 **''संग्रहण केन्द्र/गोदाम''** का तात्पर्य यह कि कार्पोरेशन के जिला कार्यालय अन्तर्गत संचालित छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन/सीडब्ल्यूसी/मंडी/कार्पोरेशन द्वारा लिया गया गोदाम जहां पर चावल का भण्डारण किया गया है।

1.10 Rice fortification: Fortification of rice is a two-step process; which involves the production of fortified rice kernels and their further blending with regular rice in a ratio of 1:100. Fortified Rice Kernels (FRKs) are manufactured by combining rice powder and micronutrients, using appropriate extrusion technology. The micronutrient fortified rice kernels closely resemble the sheen, transparency, consistency and flavour of rice. In the given project, to fortify the rice, these fortified rice kernels

2. निविदा के नियम एवं शर्तें

2.1 खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग के तहत उपार्जित किये जाने वाले चावल को भारत सरकार द्वारा FSSAI निर्धारित स्पेसीफिकेशन के तहत भारत सरकार से अधिकृत फोर्टीफाईड राईस कर्नल मेनुफेक्चर्स से फोर्टीफाईड राईस का कर्नल क्रय कर निर्धारित गुणवत्ता अनुसार फोर्टीफाईड चावल को कोण्डागांव जिले के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किया जाना है।

2.2 इच्छुक राईस मिलर्स से उनके लेटरहेड (जिसमें निविदादाता का नाम, फर्म/कंपनी का नाम व पता, टेलीफोन नं./मोबाइल नं., पेन कार्ड आदि परिशिष्ट – 01 की कंडिका 3.5 के अनुसार) संलग्न कर चावल फोर्टीफिकेशन के लिए जिले के नाम सहित टेक्नीकल बीड लिख कर आनॅलाईन प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वांछित दस्तावेज को स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

2.4 चावल का फोर्टीफिकेशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।

2.5 **(अ)** चावल फोर्टीफिकेशन के लिए प्रस्तुत आफर के साथ निविदाकार द्वारा राज्य शासन से अनुबंधित मिलिंग क्षमता के अनुसार एक टन के मिलिंग क्षमता के लिए राशि रूपये 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) की दर से **अर्नेस्टमनी राशि ''छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड'' रायपुर** के पक्ष में निविदादाता स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कामॅर्शियल ब्रांच, पुजारी पार्क, पंचपेड़ी नाका, रायपुर के खाता कमांक 32169202827 आई.एफ.एस. कोड एसबीआई एन 0008536) में जमा करना अनिवार्य होगा।** बिना अमानत राशि के प्राप्त आफर अमान्य कर दिये जायेंगे। **दरें स्वीकृत होने पर एक सप्ताह में अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा के साथ जमा अमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।**

(ब) इसी तरह मिलिंग क्षमता 01 टन से अधिक होने की दशा में मिलिंग क्षमता के अनुसार अमानत राशि अनुपातिक रूप से जमा करना अनिवार्य है। अर्थात 01 टन के मिलिंग क्षमता के लिए राशि रूपये 2.5 लाख तथा 02 टन के मिलिंग क्षमता के लिए राशि रूपये 5.00 लाख की दर से **अर्नेस्टमनी राशि जमा** करना अनिवार्य होगा।

2.6 **<u>निविदाकार अपनी दरें प्रति मे.टन में प्रस्तुत करेगा।</u>**

2.7 चावल फोर्टीफिकेशन हेतु निर्धारित लायसेंस अनुज्ञा इत्यादि लेने की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।

2.8 चावल फोर्टीफिकेशन करने के पूर्व/पश्चात संग्रहित स्थलों पर निगम द्वारा चावल का निरीक्षण किया जा सकता हैं।

2.9 अनुबंध दिनांक से निर्धारित अवधि में आवश्यकता अनुसार फोर्टीफाईड चावल जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

2.10 चावल फोर्टीफिकेशन के लिए प्रतिमाह आबंटन के अनुसार गुणवत्ता प्रमाण–पत्र NABL के अधिकृित लेबोरेट्ररी से कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

2.11 चावल फोर्टीफिकेशन के दौरान निगम के द्वारा कोई भी हम्माली एवं परिवहन आदि का वहन नहीं किया जायेगा। अतः संबंधित राईस मिलर्स को स्वयं के व्यय पर अनुबंधित मात्रा का लॉट वार कस्टम मिलिंग चावल के प्रक्रिया के अनुसार प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

2.12 अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के भीतर फोर्टीफाईड चावल का प्रदाय नहीं करने पर जमा राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

2.13 प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर फोर्टीफाईड चावल को प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान किया जावेगा। **अतः सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत मात्रा के लिए अनुबंध करना होगा। सफल निविदाकार की स्वीकृत दर पर किसी अन्य निविदाकार को भी चावल फोर्टिफिकेशन कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए निविदाकर को बंधनकारी होगा।**

2.14 सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध में उल्लेखित समयावधि में अनुबंधित मात्रा का पूर्ण कार्य करना अनिवार्य होगा। नियत समयावधि में अनुबंधित मात्रा का कार्य नहीं कर पाने की स्थिति में शेष बची मात्रा के लिए अन्य राईस मिलर्स/निविदाकार से कार्य कराया जावेंगा। जिसमें हुई अतिरिक्त व्यय को सफल निविदाकार की देयकों से वसुली की जावेंगीं।

2.15 समय–समय पर निगम द्वारा/भारत सरकार/राज्य शासन के प्रतिनिधियों द्वारा निविदाकार द्वारा प्रदाय किये गये फोर्टीफाईड चावल को राईस मिल/प्रदाय केन्द्र/उचित मूल्य दुकानों स्तर पर गुणवत्ता जांच किया जावेंगा। यदि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गुणवत्ता का चावल

नहीं होने की स्थिति में निविदाकार/राईस मिलर्स स्वयं अपनी खर्चो से उठाकर एवं परिवहन कर पुनः निर्धारित गुणवत्ता का फोर्टीफाईड चावल प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।

2.16 चावल फोर्टीफिकेशन हेतु स्थानीय कर/अन्य कर लागू होता हो, तो वह अतिरिक्त होगा एवं निविदाकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

2.17 चावल फोर्टीफिकेशन के बारदानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लोगों प्रिंट कराया जाना होगा।

2.18 किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा, जो दोनो पक्षों (निगम एवं निविदाकार) को मान्य होगा।

2.19 उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिन की समय सीमा उभय पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो या प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

2.20 किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

2.21 सभी प्रकार के विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

3. <u>जमानत राशि जमा करने के संबंध में :–</u>

3.1 निविदाकार/राईस मिलर्स को निविदा भरते समय राज्य शासन से अनुबंधित मिलिंग क्षमता के अनुसार एक टन के मिलिंग क्षमता के लिए राशि रूपये 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) की दर से अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य है। निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ **अर्नेस्टमनी राशि** (अमानत राशि) निविदाकार/राईस मिलर्स/स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से **''छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड'' रायपुर** के पक्ष में निविदादाता स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल ब्रांच, पुजारी पार्क, पंचपेड़ी नाका, रायपुर के खाता कमांक 32169202827 आई.एफ.एस.कोड एसबीआई एन 0008536) में जमा करना अनिवार्य होगा।** बगैर अमानत राशि के अथवा निर्धारित राशि से कम राशि होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

3.2 निविदाकार/राईस मिलर्स द्वारा निविदा फार्म के साथ स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के दर्शित खाते में RTGS/Online transfer के माध्यम से जमा की गई राशि के प्रमाण स्वरूप बैंक स्लिप की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस के अंदर निविदाकार को निविदा में भरी गई दरों अनुसार सम्पूर्ण मात्रा हेतु कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। निविदा कार्य पुर्ण होने के पश्चात निविदाकर को अमानत राशि वापसी किया जावेंगा।

3.4 निविदाकार द्वारा कार्पोरेशन में जमा की गई अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.5 <u>टेक्नीकल बीड के साथ अनिवार्यतः संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज/सहपत्र :–</u>

निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति स्वंय हस्ताक्षर करने उपरांत नोटरी से सत्यापित कराकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

1. निर्धारित अमानत राशि R.T.G.S./ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराने के प्रमाण के रूप में बैंक की जमा रसीद स्केन कर अपलोड करना होगा। **(UTR नम्बर सहित)**
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 अथवा 2017–18 अथवा 2018–19 की आयकर विवरणी।
3. पेनकार्ड की सत्यापित प्रति।
4. यदि निविदाकार कोई फर्म हो तो, फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि)।(स्वामित्व/प्रोपराइटर शीप निविदकार को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।)
5. निविदाकार फर्म अथवा कंपनी होने की स्थिति में, फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा (नोटरी द्वारा सत्यापित)।
6. निविदा दस्तावेज की प्रति जिसके समस्त पृष्ठों पर निविदाकार के स्व–प्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित ।
7. तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र **(नोटरी से प्रमाणित) परिशिष्ट– 6**
8. फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र**(नोटरी से प्रमाणित) परिशिष्ट– 7**
9. जी.एस.टी प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।
10. चावल फोर्टीफिकेशन के लिए आवश्यक व्यवस्था का राईस मिल का फोटो हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत करना होगा।
11. मिलिंग क्षमता के संबंध में प्रमाण की छायाप्रति।

04. निविदा में हस्ताक्षर :–

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज ऑनलाईन मूल प्रति से स्केन कराकर ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

05. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :–

निविदाकार निर्धारित ई–निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट 04 में उल्लेखित प्रदाय केन्द्रों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रदाय किये जाने के लिए केवल चावल फोर्टीफिकेशन किये जाने हेतु दरे प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.1 फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी। निविदा केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें।

5.2 निविदा प्रपत्र में निविदाकार अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को चावल फोर्टीफिकेशन हेतु राज्य शासन के आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें

विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

5.3 प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5.4 निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।

5.5 ऐसे निविदाकार जिनकी टेक्नीकल बीड क्वालीफाई नहीं की गई है, उनकी प्राइज बीड नही खोली जावेगी, एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

5.6 चावल फोर्टीफिकेशन के संबंध में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी कार्य रोका जा सकता है। इससे अगर निविदाकार/अनुबंधित राईस मिलर्स को कोई हानि होती है तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।

5.7 संविदा अवधि में किसी भी कारण से जैसे – बाजार मूल्य, उतार–चढाव होने पर अथवा राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार का टैक्स लगाये जाने से अथवा छूट देने से भरी गयी दरें प्रभावित होती है तो उस स्थिति में क्रयकर्ता को कोई भी लाभ नहीं दिया जावेगा।

06. निविदा स्वीकार करने प्रकिया :–

6.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत निविदा हेतु निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का पूर्ण अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

6.2 ऑनलाईन प्रस्तुत की गई समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।

7. अनुबंधः–

7.1 निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा खुलने की दिनांक से 120 दिन तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा ।

7.2 यह अनुबंध निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.03.2021 तक मान्य होगा।

7.3 निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा अमानत की राशि यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में राजसात कर निविदाकार का नाम आगामी तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दी जावेगी।

7.4 **संविदा के पक्षकार प्रतिष्ठान राईस मिलर्स/निविदाकार एवं प्रबंध संचालक की ओर से मनोनीत अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड होंगे।**

8. निविदा में संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जनः–

8.1 कार्पोरेशन निविदा की शर्तो में निविदा जमा करने हेतु नियत तिथि से 05 दिवस पूर्व तक संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन कर सकता है। ऐसे सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेगें।

8.2 सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in पर ही प्रदर्शित किए जावेगें।

8.3 सभी निविदाकर्ताओं से अपेक्षा हैं कि वे समय – समय पर वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in पर कार्पोरेशन द्वारा किए गए संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि को भी देखते रहे। निविदाकार को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी

भी प्रकार की त्रुटि, भ्रांति/शंका व वेबसाइट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता/हानि या किसी प्रकार की क्षति होती हैं, तो कार्पोरेशन का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

09. भुगतान बिल की प्रस्तुति –

9.1 अनुबंधित निविदाकार द्वारा जिले के गोदामों पर प्रदाय की गई फोर्टीफाईड चावल मात्रा की ऑनलाईन पावती अनुसार देयक 02 प्रतियों में सप्ताह में एक बार प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत देयकों के अनुसार संबंधित माह में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रधिकरण (FSSAI) अथवा FSSAI द्वारा प्राधिकृत NABL के प्रयोगशाला से प्रदाय आदेशवार/बैच क्रमांकवार फोर्टीफाईड चावल का गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत 90 प्रतिशत राशि का अंतरिम भुगतान किया जावेगा।

9.2 प्रदायकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत राशि के देयक जमा करते समय, आनलाईन ट्रक चालान, चावल पावती (प्रदाय केन्द्र प्रभारी के सील व हस्ताक्षर हो) विश्लेषण रिपोर्ट (विश्लेषणकर्ता के सील व हस्ताक्षर हो), तौलपत्रक (सभी दस्तावेजों का मूलप्रति) देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावेगा, 10 प्रतिशत शेष राशि का देयक, जिला प्रबंधकों से प्रपत्र –13, प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन देयक अनुसार राशियों में से माह में किये गये 90 प्रतिशत अंतरिम भुगतान का समायोजन पश्चात शेष 10 प्रतिशत राशि में से विलंबित अवधि की पेनाल्टी राशि, जी.एस.टी. सहित कटौत्रा एवं अन्य वसूली योग्य राशि का कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा।

9.3. भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये फोर्टीफाईड चावल का नेट वजन के आधार पर भुगतान होगा एवं प्राप्ति स्थल पर गुणवत्ता परीक्षण एवं शतप्रतिशत तौलकर जमा कराया जावेगा, तत्समय ऑनलाईन प्राप्ति मात्रा तथा तौल पत्रक की मूल प्रति प्राप्त कर देयक की 10 प्रतिशत राशि भुगतान प्राप्त करते समय देयक में संलग्न किया जावेगा।

परिशिष्ट– 02

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर– 24ए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0),

//चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु ई–निविदा//

छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कोण्डागांव जिले के विभिन्न संग्रहण केन्द्रों/प्रदाय केन्द्रों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गाईड लाईन्स के अनुसार पायलेट प्रोजेक्ट के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रत्येक माह अनुमानित चावल मात्रा 4950 मे.टन के लिए केवल चावल फोर्टीफिकेशन किये जाने हेतु प्रतिष्ठित राईस मिलर्स से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

Process for rice fortification: Fortification of rice is a two-step process; which involves the production of fortified rice kernels and their further blending with regular rice in a ratio of 1:100. Fortified Rice Kernels (FRKs) are manufactured by combining rice powder and micronutrients, using appropriate extrusion technology. The micronutrient fortified rice kernels closely resemble the sheen, transparency, consistency and flavour of rice. In the given project, to fortify the rice, these fortified rice kernels consisting of three micronutrients (Iron, Folic Acid and Vitamin B12) are required to be blended with milled rice in a ratio of 1:100 (FRK: Milled Rice) for rice fortification.

Refer Annexure IV for Terms of reference for rice millers and Annexure V for FSSAI's rice fortification standards. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has released regulations called Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, and Section 4.

**The miller will have to procure Fortified Rice Kernels (FRK) required for rice fortification at its own cost from FSSAI approved FRK producers. Chhattisgarh State Civil Supplies Corportaion (CGSCSC) will empanel such FRK suppliers and establish a common rate at which millers can procure the FRKs with required composition. The rice millers will then have to arrange for its blending with rice by using a suitable continuous blending machine. More details are available at FSSAI's website - https://ffrc.fssai.gov.in/ffrc/rice_technology. The Corporation will not pay for procurement, installation and commissioning of blending machine required by the rice miller for rice fortification blending operations. The millers will be paid incremental cost for rice fortification by the corporation on per kg basis on the quality of the fortified rice supplied to the corporation in addition to rice milling charges (this will include the cost of FRKs incurred by rice millers during fortification as per the rate contracted by CGSCSC).

परिशिष्ट – 03

निविदाकार की स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

..... (निविदाकार का नाम)
..... (एवं पूर्ण पता)
.....(ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रत्येक माह अनुमानित चावल मात्रा 4950 मे.टन के लिए केवल चावल फोर्टीफिकेशन किये जाने हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हम ने यह निविदा फार्म वेबसाईड में अपलोड़ किया। हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया तथा हम/ मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने चावल छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कोण्डागांव जिले के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों के लिए चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा प्रस्तुत कर रहे है। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है –

(01) निविदाकार का नाम पता .....

(02) दूरभाष/मोबाइल नं. क्रमांक कार्यालय .....

इण्डस्ट्रीज/ई–मेल आईडी .....

(03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/ .....

कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

(04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के.....

नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति.....

संलग्न करें)

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं .....

दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....

(07) पंजीयन क्रमांक एवं .....

दिनांक (सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें) .....

(08) पेनकार्ड की सत्यापित प्रति .....

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

संलग्न करें। .....

(09) बैंकर का नाम शाखा सहित (IFSC कोड सहित
खाता क्रमांक का विवरण देवें) .....

10) निविदादाता स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से.....
जमा की गई अमानत राशि का विवरण

रू. .....

बैंक RTGS/ ट्रांसफररसीद न. .....

बैंक का नाम .....

.....

दिनांक .....

(11) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

(12) हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से 120 दिन तक वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी

(13) यदि निगम द्वारा हमें/मुझे चावल फोर्टीफिकेशन करने हेतु दर स्वीकृत की जाती है, तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध/उठाव करने के लिए सहमत है/हूँ।

(14) हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

नोट : इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में वांछित जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य है। अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....
हैसियत .....

मुहर

परिशिष्ट – 04

प्राईज बीड

ई–निविदा के माध्यम से जिलेवार /प्रदाय केन्द्रवार उपलब्ध चावल फोर्टीफिकेशन कार्य के लिए प्रस्तुत दरों का विवरण

क्र	जिले का नाम	उपार्जन/ प्रदाय केन्द्र का नाम		दर रू. (प्रतिटन)	
				(अंको में) INR	(शब्दो में) INR
		क्र.	प्रदाय केन्द्र का नाम		
1	2	3	4	5	6
01	कोण्डागांव	01	केशकाल		
		02	बड़ेडोगर		
		03	माकड़ी		

उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत किया गया है।

निविदाकार का नाम – .....

पता– .....

हस्ताक्षर – .....

परिशिष्ट – 05

अनुबंध– पत्र (नमूना प्रति)

(रू.100/– मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

निविदाकार की स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा मेरे/हमारे द्वारा दिनांक ....को प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत ई–निविदा के प्रतिउत्तर में कार्पोरेशन मुख्यालय के पत्र ....रायपुर दिनांक ..... अनुसार **परिशिष्ट– 04** के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रतिमाह अनुमानित चावल मात्रा ..... . मे.टन के लिए राज्य शासन से अनुबंधित उत्पादन क्षमता अनुसार केवल चावल फोर्टीफिकेशन करने हेतु निविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत हैं । अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स.....जो कि एक पंजीयन निर्माता/ भागीदारी फर्म/ स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/ कंपनी है और जिसके भागीदार/ स्वामी) श्री..... ..... पुत्र .....श्री.....निवासी.....एवं फर्म का पंजीकृत .....(जिसे इसमें इसकी आगे प्रदायकर्ता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 रायपुर (जिसे इसमें कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक ..... को यह करार निष्पादित करता हूं/करते हैं। इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के विभिन्न निर्धारित प्रदाय केन्दों/ गोदामों में निर्धारित स्पेसीफिकेशन का चावल फोर्टीफिकेशन करने के लिए संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .....दिनांक..... तथा संपूर्ण निविदा दस्तावेज, संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबधों/ निर्देशों तथा परिशिष्टों का अवलोकन कर लिया है तथा उनसे पूर्णतः सहमत हूं/है मै /हम, मेरे/ हमारे द्वारा प्रबंध संचालक छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन रायपुर को प्रस्तुत निविदा के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक .....दिनांक..... में जो इस करार का एक भाग है मैं/ हम नमक की निविदा में प्रस्तुत एवं स्वीकार / ऑफर की गई दरों पर निविदा के प्रावधानों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ/ ले रहे हैं । मैं / हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूं / देते हैं कि मै/ हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं में मेरी / हमारी सर्वोत्म योग्यता से करूंगा / करेंगे एवं इसके प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह रहूंगा/रहेंगे ।

निविदा दस्तावेज में समाहित उदबोधन, निविदा निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं सभी नियम एवं शर्ते, उसमें सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग है जो हमें मान्य है, और हम दोनों पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिये बाध्य हैं ।

यह करार दिनांक ..... से ..... के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाये लागू रहेगा।

संलग्न – ऑनलाईन क्रय निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति/परिपालन बंधनकारी स्वरूप, मुद्रासहित हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज।

प्रदायकर्त्ता हस्ताक्षर
(हैसियत सहित एवं पद– संस्था मुदा)

साक्षी

1. हस्ताक्षर .....
नाम एवं पता.....

2. हस्ताक्षर .....
नाम एवं पता.....

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

साक्षी

1. हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता .....

2. हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता .....

परिशिष्ट – 06

तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति (100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रतिमाह अनुमानित चावल मात्रा 4950 मे.टन के अनुसार 03 माह के लिए लगभग मात्रा 14850 मे.टन. के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित राईस मिलर्स से राज्य शासन से अनुबंधित उत्पादन क्षमता अनुसार केवल चावल फोर्टीफिकेशन करने हेतु आमंत्रित ई–निविदा में, स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं । मैं/हमने यह निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in पर प्रकाशित निविदा सूचना एवं दस्तावेजों को भली – भांति पढ़कर समझ लिया है और निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत कोण्डागांव के प्रदाय केन्द्रों के लिए चावल फोर्टीफिकेशन हेतु ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसका आदेशानुसार मात्रा का निर्धारित समय में उठाव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ।

2. इस संबंध में हम तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने के प्रमाण में दस्तावेज पूर्ण सत्यता और निष्ठा के साथ स्वयं की जवाबदेही पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

2.1 मैं/हम इस बात का पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ प्रमाणन करते हैं/करता हूं कि हमारे द्वारा निर्धारित अमानत राशि ..... लाख R.T.G.S./आन लाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर के द्वारा टेक्निकल बीड के साथ जमा कर रहा हूं ।

2.2 मैं/हमारे द्वारा तकनीकी बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज/शपथ पत्र हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध व प्रमाणिक है । इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जवाबदार होंगे। मैं/हमारे द्वारा प्रस्तुत फाईनेंसियल बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑन लाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र, दस्तावेज/शपथ पत्र की मूल प्रति/स्व प्रमाणित प्रति कार्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा ।

2.3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा के अंतर्गत चावल फोर्टीफिकेशन के लिए हमारे पास विधिसम्मत स्थिति अनुसार सभी अनुज्ञा पत्र/अनुमतियां वैध रूप से प्रचलित अवस्था में है ।

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....

नाम .....

कंपनी/फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर/सील .....

परिशिष्ठ –07

फाईनेंशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति (100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर द्वारा ख्खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जित किये जाने वाले चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने के लिए FSSAI मापदण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सप्लार्यस से फोर्टीफाईड राईस कर्नल (FRKs) क्रय कर सीएमआर के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले चावल को कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार 50 किलो के जूट के बारदानों में चावल फोर्टीफिकेशन कर कोण्डागांव जिले के अन्तर्गत आने वाले निगम के प्रदाय केन्द्रों में प्रतिमाह अनुमानित चावल मात्रा 4950 मे.टन के अनुसार 03 माह के लिए लगभग मात्रा 14850 मे.टन. के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित राईस मिलर्स से राज्य शासन से अनुबंधित उत्पादन क्षमता अनुसार केवल चावल फोर्टीफिकेशन करने हेतु आमंत्रित ई–निविदा में, स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। चावल विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in निविदा दस्तावेज, अनुबंध तथा इससे संबंधित समस्त नियमो एंव शर्तों, संलग्न परिशिष्ठों को पढ़कर तथा स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझकर जहां है जैसा है के आधार क्रय करने हेतु प्रकाशित निविदा के तारतम्य में दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. I hereby agree that FRK with three micronutrients (Iron, Folic Acid and Vitamin B12) required for rice fortification will be procured by us from FSSAI approved FRK supplier at no additional cost. In addition, a blending machine for rice fortification operations will be installed and commissioned by us and no incentive shall be charged towards setting up this infrastructure. We agree to fortify the milled rice by mixing FRK and milled rice in 1:100 ratio and supply fortified rice conforming to FSSAI standards of fortified rice

2. मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तो, अनुबंध की शर्तों तथा इस बारे में समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत् चावल फोर्टिफिकेशन कार्य हेतु मैं/हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

3. मैं/हम निविदा दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक स्वीकृत/आफर की गई दरों की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह में निविदा के निर्धारित नियमों एंव शर्तो अंतर्गत अनुबंध करने हेतु सहमत और प्रतिबद्ध हैं/हूँ और तदनुसार इस समय सीमा में अनुबंध कर चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा में उठाव करूंगा/करेंगे।

4. मेरे द्वारा निविदा के माध्यम से चावल फोर्टीफिकेशन कार्य हेतु चावल का उपयोग सीएमआर के रिसायकल हेतु नहीं किया जावेगा।

5. मैं/हम इस निविदा प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर अनुबंध नही करने अथवा उठाव नही करने पर कार्पोरेशन के पास निविदाकार की उपलब्ध अमानत राशि/अन्य उपलब्ध राशि जप्त कर ब्लेक लिस्टेड/प्रतिबंधित/अयोग्य किये जाने के प्रावधान से भिज्ञ हूँ

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....
नाम .....
कंपनी/फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर/सील .....

Annexure –08

Terms of Reference: Rice Miller

Fortification of rice used under the Centrally Sponsored Pilot Scheme on Fortification of rice and its distribution under the Public Distribution System (PDS) in _____ district, Chhattisgarh

Introduction: The Govt. of India has launched a Centrally Sponsored Pilot Scheme on Fortification of rice and its distribution under the Public Distribution System (PDS) on a pilot basis in 15 districts across 15 states.

The Terms of Reference (TOR) is applicable to the rice miller participating in the Centrally Sponsored Pilot Scheme on Fortification of rice and its distribution under the Pubic Distribution System (PDS)in Kondagaon district.

Fortification of rice is a two-step process; which involves the production of fortified rice kernels and their further blending with regular rice in a ratio varying between 0.5%-2%. Fortified Rice Kernels (FRKs) are manufactured by combining rice powder and micronutrients, using appropriate extrusion technology.The micronutrient fortified rice kernels closely resemble the sheen, transparency, consistency and flavour of rice. In the given project, to fortify the rice, these fortified rice kernels will be blended with the rice in a ratio of 1:100, i.e. 1MT of FRK is mechanically blended with every 100 MTs of rice to get 101 MTs of appropriately fortified rice.

For Rice Fortification: Fortified Rice Kernels (FRK) will be procured by the rice miller identified by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation (CGSCSC) for rice fortification. The rice miller may commission and install a customized blending equipment which will then blend regular rice with FRK or use existing set up of the miller depending upon his willingness and feasibility of process for rice fortification.

Rice will be fortified as per levels of micronutrients based on the FSSAI guidelines for fortification of rice. This translates to the profile given in the table 1 below:

Table 1: Agreed and approved Micronutrient Composition per kg of fortified rice

Micronutrient	Salt	Levels
Iron	Ferric pyrophosphate	42.5 mg
Vitamin B-12	Hydroxycobalamine	1.25 mcg
Folic Acid	Folic acid	125 mcg

Selection of the rice miller: Rice miller to be selected through a process of selection, basis of their field presence, interest in partnership, adequacy of local infrastructure and human resources, power supply, space for storage and installation of blending system for rice fortification, transport facility, distance from FCI depot and experience in working with government food-based programmes.

Scope of work:

1. **Fortification of rice with Fortified rice kernels: CGSCSC**will purchase _____ **MT** fortified rice after production through a specialized blending machine / similar equipment. Alternately, the development partner supporting the statemay also provide technical inputs to the miller to produce fortified rice using existing set-up of silos, conveyor belt etc. to fortify the rice depending upon the feasibility of the process. During the project period, _____ MT of fortified blended rice will be purchased by **CGSCSC for**

Key tasks:

1. Sign a Service agreement
2. Procurement of FRKs
3. Setup required by the rice miller for rice fortification
4. Quality control
5. Labor, maintenance and record keeping

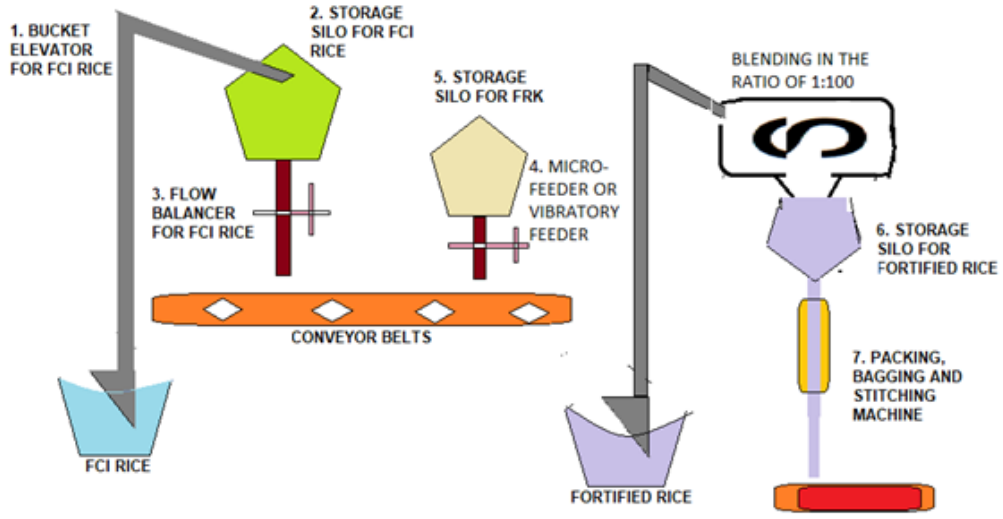
Details of each key task are as follows:

1. **Sign a service agreement (SA)**and adhere to **CGSCSC**terms & conditions of empanelment and procurement.

2. **Procurement of FRKs:** Under the Centrally Sponsored Pilot Scheme on Fortification of rice and its distribution under the Public Distribution System (PDS), the rice miller is responsible to procure FRKs required for production of fortified rice based on a 'fixed rate" provided by **CGSCSC**through state empaneled fortified rice kernel suppliers only. The list of such state empaneled fortified rice kernel suppliers will be provided by the concerned authorities.

3. **Setup requiredby the rice miller for rice fortification**:The rice fortification unit to be setup in the mill premises will have the following components (Fig1)
   a. Bucket elevator x 2
   b. Flow balancer /vibratory feeder for FCI rice
   c. Silos/Hoppers
   d. Belt conveyor
   e. Storage Hopper with vibratory feeder or flow balancer for FRK
   f. Blending equipment
   g. Conveyer belt with stitching unit

REPRESENTATIONAL FIGURE: RICE FORTIFICATION USING THE MILLERS EXISTING EQUIPMENT



FCI rice will be loaded in the buffer hopper via the bucket elevator for FCI rice, then transferred to the weighing hopper (up to weigh 200 Kg) or could be loaded in a silo and then released through flow balancer/vibratory feeder and discharged in the blender/mixer. Simultaneously, the FRK storage hopper will discharge 2 kgs FRKs to the blender through the vibratory feeder or flow balancer / doser. The blending will be done for 3 minutes, followed by storage in silos and bagging, stitching and stacking. The exact blending time will be determined after the successful trials for fortification of rice

Note:1) the exact setup required to be installed / modified based on the available equipments in the mill may be operationalized based on the assessment done by concerned development partners supporting the scheme.

2) The capacity of the equipments will depend on the capacity of rice mill plant and desired daily production of the fortified rice.

3) The rice millers will have to arrange for blending of FRKs with rice by using a suitable continuous blending machine. More details are available at FSSAI's website - https://ffrc.fssai.gov.in/ffrc/rice_technology. The Corporation will not pay for procurement, installation and commissioning of blending machine required by the rice miller for rice fortification blending operations. The millers will be paid incremental cost for rice fortification by the corporation on per kg basis on the quality of the fortified rice supplied to the corporation in addition to rice milling charges (this will include the cost of FRKs incurred by rice millers during fortification as per the rate contracted by CGSCSC).

**Note: (i) The Fortified Rice quantity specified as _____ MT refers to the weight of only Fortified Rice (exclusive of the weight of gunny bags).

4. Quality control

- The Rice Miller must be registered under FSSAI (Food Safety & Standards Authority of India) and should have a valid license for production and packaging of fortified rice. The FSSAI license should be renewed & displayed in the mill always.
- The rice miller must be endorsed with FSSAI for using plus F logo on the package of the fortified rice.
- The Rice Miller would draw a reference sample from each quarter's Fortified rice allocation and store the appropriately labelled sample in sealed clean, dry transparent plastic containers/ zip lock pouches within the premises for future reference. The same process should be followed for each lot of FRK received by the miller.
- The rice miller should preferably have an in-house laboratory for general routine tests related to rice.
- Rice miller shall have a digital weighing scale and build capacity of his team on assessment of kernel count test.
- CGSCSC will appoint an NABL accredited laboratory to lift samples of fortified rice from the premises of the Rice Miller to ensure that the blending has been done as per the requirements. The rice miller will be expected to facilitate the process of sample collection. Dispatch/delivery of fortified rice should commence only after receipt of analysis results certifying that the product conforms to the contractual specifications or as communicated by **CGSCSC**.

5. Labour, maintenance and record keeping:

- Engage competent and trained staff and laborers in the fortification or blending operations.
- Use of head gear, face masks, disposable shoe covers and adherence of Do's and Don't's by the staff hired for the project should be encouraged at all times during production of fortified Rice. The rice miller is required to procure the same.
- Laborer's involved in production, packaging and other operations of fortified rice should not be wearing any jewellery, accessories etc which could pose as a physical hazard.
- Maintain books of records in respect of fortified rice utilization, production & delivery etc.;
- Display daily updated stock and production figures at an appropriate location within the Mill.
- Undertake regular repair and maintenance of the blending system. However, any major/minor breakdown should be communicated to **CGSCSC** and corrective actions should be taken based on advice.

- Display sign boards showing the partnership with**CGSCSC** at appropriate locations in the premises for visibility and advocacy.
- Maintain a feedback register for government or other stakeholders to provide feedback upon a visit

Guidelines for storage and handling of food commodities

1. **Receiving commodities:**
   - The Rice Miller shall exercise due caution in carefully inspecting the incoming stock (FRK). All bagged commodities should be examined for signs of live insects, and any infested bags must be segregated. In case a high level of infestation is observed, it is expected that the Rice Miller would inform **CGSCSC** (for FRK) and draw a sample of that lot for reference purpose.
   - Care must be taken with any commodities that have been wetted with rainwater during delivery. Wet bags must not be built into a stack. They must be issued and used immediately if possible, or the contents should be carefully dried before being re-bagged and stacked separately for early dispatch.
2. **Storage of commodities:**
   - The Rice Miller processor should ensure that the commodities are stored under a waterproof roof. Commodities should be stored in cool, dry and safe place.
3. **Stacking:**
   - Within a store, stacks should be built clear of all walls and roof supports to allow access all round for inspection, pest control and physical audit, and to permit free circulation of air – which is important to reduce the risk of condensation and mold damage. The recommended space between the stacks and walls or roof supports is 1 m. The top of stacks should be clear of the roof or roof supports so that it is possible for a person to pass easily around all sides and over the top of each stack.
   - Stacks must be built in an orderly manner that permits reliable audit. Badly built stacks may collapse and injure people, or cause damage to the commodity and/or the fabric of the packaging material.
   - To store gunny bags containing blended Fortified Rice (50 Kg Net Wt.), Brick work method of Stacking need to be followed. (i.e., the 1st Bag length wise, followed by next bag width wise and repetition of the scheme thereafter in all layers in the Stack). The vertical stack height may have to be restricted to 12 or 14 feet high. Similarly, stacking against walls may cause structural damage, and solar heat on the store exterior may be transmitted to goods that are stacked very close to the walls and roof.
   - Commodities, except those packed in strong, vapor-proof containers, should not be stacked directly on the floor because there is a risk of moisture from the ground rising into the stack. They should be stacked on a moisture-proof floor cover, such as polythene sheeting, or on dunnage such as wooden pallets.
   - Storage & utilization of fortified rice should be subject to FIFO (First-In, First-Out) stock rotation system. For this purpose, the date of manufacturing printed on the outer 50 kg bags (for Fortified Rice) should be referred to. Food & Non-Food material should not be stored in the same area. Storage of fuel, disinfectants, cleaning agents, stationary or other items should be strictly away from the stored raw materials.
4. **Store Hygiene**
   - The store must be kept clean by regular sweeping of the floors which should be undertaken at least once every day. If the floor is swept clean at the end of the working day and spillage is observed at the start of the next day, it will be clear to the store managers/laborers that there has been unauthorized activity in the premises or that there was heavy rodent infestation

during the night. Every month it will be useful to sweep the walls and any ledges that permit the accumulation of spillage or dirt.

5. Dispatch of commodities

- 'First in, first out (FIFO)' is a good general default rule for all food commodities because it helps to reduce the overall age of stock in the warehouse. This is important because food storage problems tend to increase in direct proportion to the duration of the storage period.

6. Labour management and security

- It is the Rice Miller's responsibility to ensure that laborers working in the mill/ warehouse are adequately informed, trained and supervised, particularly about taking care in handling commodities and their own safety.

7. Pest management for insects and rodents

- The first step in managing insect pests of food stocks is to inspect them regularly to check their condition. If pests are found and considered to pose a risk, steps to curb the damage to the commodities shall be taken.
- All steps should be taken to avoid/ minimize rodent infestation in the storage area. Foodstuffs that are liable to rodent damage- like in this case, should, where possible, be kept in relatively small stacks with sufficient space around to allow easy inspection. Where it is necessary to have large stacks, these too must have access all around. Stacks left undisturbed for very long periods are most likely to become a breeding ground for rats and mice.
- The floor around stacks of food commodities should be regularly swept and kept clear of spilled food and accumulated packing materials. When waste material cannot be disposed of immediately by burning or removal from the site, it should be stored temporarily in rodent-proof containers such as metal dustbins

Annexure – 09

Standards for fortified rice issued by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

Rice, when fortified, shall contain added iron, folic acid and Vitamin B-12 at the level given in the table below:

Sl.No.	Nutrient	Level of fortification per Kg
1.	**Iron**- (a)Ferric pyrophosphate	28 mg- 42.5 mg *
	Or (b) Sodium Iron (III) Ethylene diamine tetra Acetate Trihydrate (Sodium feredetate -Na Fe EDTA);	14 mg- 21.25 mg
2.	**Folic acid**-Folic acid;	75 µg- 125 µg
3.	Vitamin B12- Cyanocobalamine or Hydroxycobalamine;	0.75 µg- 1.25 µg

Note: *added at a higher level to account for less bioavailability

In addition, rice may also be fortified with following micronutrients, singly or in combination, at the level given in the table below:

Sl.No.	Nutrient	Level of fortification per Kg
1.	**Zinc**-Zinc Oxide;	10 mg- 15 mg
2.	**Vitamin A**- Retinyl Palmitate;	500 µg RE- 750 µg RE
3.	**Thiamine (Vitamin B1)**- Thiamine hydrochloride or Thiamine mononitrate;	1 mg- 1.5 mg
4.	**Riboflavin (Vitamin B2)**- Riboflavin or Riboflavin 5'-phosphate sodium;	1.25 mg- 1.75 mg
5.	**Niacin (Vitamin B3)**- Nicotinamide or Nicotinic acid;	12.5 mg- 20 mg
6.	**Pyridoxine (Vitamin B6)**- Pyridoxine hydrochloride;	1.5 mg- 2.5 mg

परिशिष्ठ –10

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत चावल **Fortification** कर Fortified **Rice** वितरण हेतु ई–निविदा के तकनीकी बीड में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे अनिवार्य दस्तावेजों/शपथ पत्र की चेकलिस्ट

चावल विक्रय हेतु आमंत्रित ई निविदा दिनांक – .....

निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता – .....

निविदाकार का स्वरूप प्रो/फर्म/कंपनी – .....

क.	अनिवार्य दस्तावेज की प्रति	विवरण
1.	निर्धारित अमानत की राशि R.T.G.S./आनलाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर के माध्यम से निगम के खाते में जमा कराने के प्रमाण के रूप में (यू.टी.आर नं. सहित) पावती स्केन कर अपलोड करना होगा।	R.T.G.S./ आनलाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... राशि ....
2.	वित्तीय वर्ष 2016–17 अथवा 2017–18अथवा 2018–19 की आयकर विवरणी।	वित्तीय वर्ष 2016–17 अथवा 2017–18 अथवा 2018–19 की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।
3.	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (पैन कार्ड) की छायाप्रति।	पेन कार्ड क्रमांक की छायाप्रति
4.	फर्म/कंपनी की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र। (स्वामित्व/प्रोपराइटर निविदाकार को पंजीयन आवश्यक नही है।)	पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक .....
5.	फर्म/कंपनी की ओर से निविदा मे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्यतारनामा (सत्यापित)	अधिकृत व्यक्ति का नाम .....
6.	तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र **परिशिष्ट –07** अनुसारनोटरी से प्रमाणित (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	
7.	फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र **परिशिष्ट –08** के अनुसार नोटरी से प्रमाणित (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपरपर)	
8.	निविदा दस्तावेज की प्रति जिसमें समस्त पृष्ठों पर निविदाकार के स्व–प्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित	
9.	जी.एस.टी प्रमाण पत्र (यदि हो तो)	
10.	चावल फोर्टीफिकेशन के लिए आवश्यक व्यवस्था का राईस मिल का फोटो हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत करना होगा।	
11.	मिलिंग क्षमता के संबंध में प्रमाण की छायाप्रति।	**प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

अनिवार्य दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को स्व–प्रमाणित कर स्केन कर चेक लिस्ट में दर्शाये क्रमानुसार ऑन लाईन तकनीकी बीड में अपलोड कर प्रस्तुत है।

दिनांक .....

संलग्न :– उपरोक्तानुसार सहपत्र।

हस्ताक्षर व सील .....
निविदाकार का नाम व पता .....
मोबाइल नम्बर .....

परिशिष्ट–11

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal

and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related,

whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to

the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentially.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14.The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	**BIDDER**
Name of the Officer	**CHIEF EXECUTTIVE OFFICER**
Designation	
Department/PSU	
Witness	**Witness**
1.....	**.....**
.....	**.....**
.....	**.....**
2.....	**.....**
.....	**.....**
.....	**.....**

परिशिष्ट–12

Guidelines for bidders on using integrated eProcurement System Govt. of Chhattisgarh

https://eproc.cgstate.gov.in

Chhattisgarh Infotech Promotion Society

Change Log

Version	Author	Change Description	Reviewer	Date	Approver
1.0	Mjunction	-	CHiPS	10/02/16	CHiPS
1.1	Mjunction	Java ver. Update, Recommended Min. Bandwidth, Document size limit	CHiPS	06/04/16	CHiPS
1.2	Mjunction	Earnest Money section update	CHiPS	13/06/16	CHiPS
1.3	Mjunction	Added Registration & Renewal Fees	CHiPS	26/11/16	CHiPS
1.4	Mjunction	Mjunction Update Help DeskNumber & email	CHiPS	14/12/17	CHiPS
1.5	Mjunction	EMD Payment details	CHiPS	05/06/18	CHiPS

TABLE OF CONTENTS

1 Vendor / Bidder Registration on the e-Procurement System……4

2 Digital Signature Certificates……4

3 Online Payment……..5

4 Setup of User's Computer System ……6

5 Publishing of N.I.T……6

6 Tender's Critical Dates & Time/Tender Time Schedule……..6

7 Download Tender Document(s)……..6

8 Submit Online Bids……6

9 Submission of Earnest Money Deposit……6

10 Opening of Tenders……..7

11 Briefcase……7

12 Support – Help Desk……7

Note: These conditions will over-rule the conditions stated in the tender document(s),

wherever relevant and applicable.

1. Vendor / Bidder Registration on the e-Procurement System:

All the Users / Bidders (Manufacturers / Contractors / Suppliers / Vendors / Distributors etc.) registered with and intending to participate in the Tenders of various Govt. Departments / Agencies / Corporations / Boards / Undertakings under Govt. of Chhattisgarh processed using the Integrated e-Procurement System are required to get registered on the centralized portal https://eproc.cgstate.gov.in and approved on specific class (e.g. A, B, C, D, UGE, UDE) from Public Works Department (in case to participate in tenders restricted to vendors / bidders in a particular class).

The non – registered users / bidders who are also eligible to participate in the tenders floated using the e-Procurement system are also required to be registered online on the e-Procurement system.

Vendors are advised to complete their online enrolment / registration process on the portal well in advance to avoid last minute hassle, it is suggested to complete enrolment at least four days before the last date of bid submission date, failing which may result in non-submission of bids on time for which vendor/end user shall be solely responsible. Also ensure to mention correct Bank account details during the registration, which will be referred during refund of unsuccessful EMD/Bid Security.

Vendors are required to pay online registration / enrolment fee of Rs. 500/- one time and renewal fee of Rs. 100/- for subsequent each year.
For more details, please get in touch with e-Procurement system integrator:
M/s. Mjunction Services Limited, Raipur – 492 001
Toll free 1800 419 9140 or
Email: helpdesk.cgeproc@mjunction.in.

2. Digital Signature Certificates:
The bids submitted online must be signed digitally with a valid Class II / Class – III Digital Signature Certificate to establish the identity of the bidders submitting the bids online. The bidders may obtain pair of Encryption & Signing Class – II / Class – III Digital Certificate issued by an approved Certifying Authority (CA) authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India, may refer
http://www.cca.gov.in/cca/?q=licensed_ca.html.

Note: It may take up to 7 to 10 working days for issuance of Class-II / Class-III Digital Certificate, Therefore the bidders are advised to obtain it at the earliest. It is compulsory to

possess a valid Class-II / Class-III Digital Certificate while registering online on the above mentioned e-Procurement portal. A Digital Certificate once mapped to an account / registration cannot be remapped with any other account / registration however it may be inactivated / deactivated.
Important Note: Bid under preparation / creation for a particular tender may only be submitted using the same digital certificate that is used for encryption to encrypt the bid data during the bid preparation / creation / responding stage. However bidder may prepare / create and submit a fresh bid using his/her another / reissued / renewed Digital Certificate only within the stipulated date and time as specified in the tender.
In case, during the process of a particular bid preparation / responding for a tender, the bidder

loses his/her Digital Certificate for any reason, they will not be able to submit the same bid

under preparation online .Hence the bidders are advised to keep their Digital Certificates secure to be used whenever required and comply with IT Act 2000 & its amendments and CVC guidelines.

The digital certificate issued to the authorized user of an individual / partnership firm / private limited company / public limited company / joint venture and used for online bidding will be considered as equivalent to a no-objection certificate / power of attorney to the user.

Unless the certificate is revoked, it will be assumed to represent adequate authority of thespecific individual to bid on behalf of the organization / firm for online tenders as per Information Technology Act 2000. This authorized user will be required to obtain a valid Class-II / Class-III Digital Certificate. The Digital Signature executed through the use of DigitalCertificate of this authorized user will be binding on the organization / firm. It shall be theresponsibility of management / partners of the concerned organization / firm to inform the Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate for the new authorized user.

3. Online Payment: As the bid is to be submitted only online, bidders are required to make online payment(s) of the Registration fee / Transaction or Service fees / EMD using the online payments gateway services integrated into the e-Procurement portal using various payment modes like Credit Card / Debit Card / Internet Banking / Cash Card / NEFT / RTGS etc. Bidders are advised to initiate and process the eChallan/NEFT/RTGS payments well before bid due date in order to get the same updated in the eProcurement system, Also refer RBI guidelines for NEFT/RTGS payment.

For the list of available online modes of electronic payments that are presently accepted on the online payments gateway services, please refer the link 'Payments accepted online' on the

eProcurement portal https://eproc.cgstate.gov.in**.**

4. Setup of User's Computer System: In order to operate on the e-Procurement portal for a bidder / user, the computer system /desktop/laptop of the bidder is required to have Java ver.8.77, Internet explorer 9 / 11, latest Mozilla Firefox, Google Chrome with IE Tab V2 (Enhanced IE Tab).

A detailed step by step document on the same is available on the eProcurement portal home page. Also internet connectivity should be minimum one MBPS.

An auto setup utility is available on the eProcurement portal home page for its users to auto

configure client system, link to auto setup: https://eproc.cgstate.gov.in --> Auto Setup.

5. Publishing of N.I.T.: For the tenders processed using the e-Procurement system, only a briefadvertisement notice related to the tender shall be published in the newspapers and the detailednotice shall be published only on the e-Procurement system. Bidders can view the detailednotice, tender document and the activity time schedule for all the tenders processed using the e-Procurement system on the portal https://eproc.cgstate.gov.in.

6. Tender's Critical Dates & Time/Tender Time Schedule: The bidders are strictly advised to follow the tender schedule for their side of tasks activities and responsibilities require to participate in the tender.

All the activities / tasks of each tender are locked with the start date and time and end date & time at the time of uploading tender as set by the concerned department official.

7. Download Tender Document(s): The tender document and supporting document(s) can be downloaded only online. The tender document(s) will be available for download to concerned bidders after online publishing of the tender and up to the stipulated date & time as set in the tender.

8. Submit Online Bids:

8.1 Bidders have to submit their bid online after successful filling of forms within the specified date and time as set in the tender.

8.2 The encrypted bid data of only those bidders who have submitted their bids within the stipulated date & time will be accepted by the e-Procurement system. It is expected that the bidder complete his bid within stipulated timeline. Bid of the bidder who has not submitted his bid within the stipulated date & time will not be available during opening.
8.3 Size of bid documents uploaded during bid preparation should be less than five MB (for individual document) and over all bid documents should be less than fifty MB.

9. Submission of Earnest Money Deposit: The bidders shall submit their Earnest Money Deposit Either as in usual physically sealed Earnest Money Deposit envelope and the same should reach the concerned office OR Online using payment gateway as stated in the Notice Inviting Tender/ Tender document. Bidders also have to upload scanned copy of Earnest MoneyDeposit instrument OR Online Payment /NEFT/RTGS receipt along with the reference detailsonline. Bidders who choose to pay Earnest Money Deposit (EMD) or bid security using online payment(s) mode like Internet banking/ Debit Card/ Credit Card/NEFT/RTGS/eChallan/wallet etc. would be entitled for online refund subject to tender terms & conditions and evaluation by respective department authority.

Intending bidder(s)/vendor(s)/user(s) are required to provide their relevant & correct account details during registration in the portal which shall be used for EMD/Bid Security refund purpose, bidder(s)/vendor(s)/user(s) shall be solely responsible for providing correct account details and CHiPS/System Integrator shall not verify account details provided and be not responsible for any loss/transfer of funds.

Bidder(s)/vendor(s)/user(s) may update their account details in their registration if desired, the last updated account details shall be considered for future payment(s)/refund(s) if applicable.

10. Opening of Tenders: The concerned department official receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the online Earnest Money Deposit envelope of all the bidders and verify the same uploaded by the bidders. He / She shall also verify the scanned documents uploaded by the bidders, if any, as required. In case, the requirements are incomplete, the next i.e. technical and commercial envelopes of the concerned bidders received online shall not be opened.
The concerned official shall then open the other subsequent envelopes submitted online by the bidders in the presence of the bidders or their authorized representatives who choose to be

present in the bid opening process or may view opened details online.

11. Briefcase: Bidders are privileged to have an online briefcase to keep their documents onlineand the same can be attached to multiple tenders while responding, this will facilitate bidders toupload their documents once in the briefcase and attach the same document to multiple bidssubmitting.

12. **Support – Help Desk**

For any further queries / assistance, bidders may contact:

1. The Service Integrator of e-Procurement system, M/s. Mjunction Service Ltd. on Help Desk

Toll free No. 1800 419 9140 or email helpdesk.cgeproc@mjunction.in.

2. Mr. Shailesh Kumar Soni, Sr. Manager, Chhattisgarh Infotech & Biotech Promotion Society

(CHiPS) on Tel. No. 0771 - 4014158 or email: pro-chips@nic.in.